प्रेस नोट दि0-11.08.2025
जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 11.08.2025
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

योजनाबध्द तरीके से छल, धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चकबन तोड़ से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी निवासी ग्राम सगरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पति की मृत्यु के उपरांत उनकी पैतृक/ पति की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से आरोपीगणों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जाली एवं फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और छल एवं धोखाधड़ी के माध्यम से उनकी भूमि हड़पने का प्रयास किया। उक्त के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-13.06.2025 को थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0-263/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस बनाम 05 नामजद पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 पुष्पराज सिंह मय हमराह म0का0 मीना यादव व म0का0 रीनू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-263/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता को थानाक्षेत्र के ग्राम चकबन तोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- 01 अभियुक्ता ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 पुष्पराज सिंह मय हमराह म0का0 मीना यादव व म0का0 रीनू यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-11.08.2025
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा मारपीट व हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रातंर्गत सराय नाहर राय मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 15.05.2025 को आवेदक बांकेलाल पटेल बारात में शामिल होने ग्राम होला का पुरवा, थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ आया था। रात लगभग 10ः30 बजे बाराती व घराती के बीच विवाद होने पर ग्राम के ही मनीष पटेल, प्रमोद पटेल, अमन पटेल (पुत्र लालजी), अमन पटेल (पुत्र अक्षयलाल), रौनक पटेल, दीपक पटेल व रैना पटेल ने लाठी-डंडा व धारदार हथियार से प्रार्थी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। घटना में सिर व शरीर पर गंभीर चोट आई थी इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 151/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352, 351 (2) बीएनएस बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष यादव के नेतृत्व में व0उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराह का0 मनोज यादव, का0 अर्पित त्रिपाठी चालक का सतीष पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र उमाशंकर पटेल नि० ग्राम होला का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष को थाना क्षेत्र जेठवारा के सराय नाहर राय मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
प्रमोद कुमार पुत्र उमाशंकर पटेल नि० ग्राम होला का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष

पुलिस टीम-
व0उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराह का0 मनोज यादव, का0 अर्पित त्रिपाठी चालक का सतीष पाल थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-11.08.2025
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म एवं IT एक्ट से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्त - मकसूद अहमद पुत्र शकील अहमद, निवासी गोपालपुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी स्थल - स्वरूप रानी अस्पताल, प्रयागराज
अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मुकदमा धारा 64(2एम), 308(5), 356(2), 351(2), 61(2) BNS व 67 IT एक्ट
गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के पर्यवेक्षण में की गई
गिरफ्तारी टीम: उ0नि0 उदयभान व का0 आलोक रंजन, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाकं 14.07.2025 को थाना कोहड़ौर क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में धारा 64 (2m)/308(5)/356 (2)/351 (2)/61 (2) bns व 67 IT ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज यादव के नेतृत्व में उ0नि0 उदयभान मय हमराह का0 आलोक रंजन द्वारा तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त मकसूद अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी गोपालपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को जनपद प्रयागराज के स्वरुप रानी अस्पताल प्रयागराज के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मकसूद अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी गोपालपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

पुलिस टीम-
उ0नि0 उदयभान मय हमराह का0 आलोक रंजन थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-11.08.2025
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

योजनाबद्ध लूट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत सराय जमुनी चौराहा के पास से किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोबाईल फोन बरामद।

घटना का विवरण-
थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 07/08/2025 को वादिनी ट्रामासेन्टर रानीगंज से अपने घर आटोरिक्सा से आ रही थी तभी हमारे मोड़ वीजेमऊ पूरेचन्दन मार्ग पर के पास आरोपीगणों द्वारा तमंचा लगाकर वादिनी की चैन छीन लेने के प्रकरण में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0स0 268/2025 धारा 309 (4) बीएनएस बनाम 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना रानीगंज के मु0अ0स0 268/2025 धारा 309 (4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा पुत्र रमाशंकर शर्मा निवासी सराय जमुनी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोबाईल फोन के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत सराय जमुनी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण- मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जोगापुर प्रतापगढ़ शहर में मोटर साइकिल से जा रही एक महिला की चैन लूटने का प्रयास किया था तथा हम लोगों के द्वारा घटना कारित करने के लिए जोगापुर में फायरिंग भी की गयी थी परन्तु वहाँ हम लोग महिला की चैन छीनने में असफल रहे तब उसके बाद हम लोग भूपियामऊ, पृथ्वीगंज व रानीगंज होते हुए लच्छीपुर बाजार से आगे बीजमऊ पूरे चन्दन मोड़ के पास पहुचे कि आटो से जामताली की तरफ जा रही दो महिलाओ को देखा जिसमें एक महिला के गले में सोने की चैन दिखी तब हम लोगो ने आटो रिक्शा चालक को असलहा दिखाकर रोककर डरा धमकाकर तथा आटो में पीछे बैठी महिला को असलहा दिखाकर डरा धमकाकर भय में डालकर उसके गले की सोने की चैन को छीन लिये वहाँ पर मौजूद अन्य लोगो ने इसका विरोध किया तो हम लोग धक्का देकर अपनी मोटर साइकिल पर सवार होकर कैलीडीह, सुवशा, मुंगरा बादशाहपुर, फूलपुर, सहसो चौराहा होते हुए झूसी इलाहाबाद चले गये। मैं वहाँ से अपने घर चला आया तथा पकड़ा गया व्यक्ति अपनी मोबाइल देखकर बता रहा है कि दिनांक 10.08.2025 को समय 11.37 बजे पर मेरे यूपीआईआईडी पर 8300 रुपये प्राप्त हुआ है। जो मेरे दोस्त ने लूटी हुई चैन को बेचकर जो मेरे हिस्से का पैसा था। वह मेरे फोन पर आनलाइन भेज दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. श्रीनिवास शर्मा पुत्र रमाशंकर शर्मा निवासी सराय जमुनी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोबाईल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमों का विवरण-
उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का०रूट्रांश चौबे, का० प्रदीप कुमार, का0 योगेन्द्र यादव, का० चंदन यादव, का0 संतोष कुमार सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम/सर्विलांस सेल- प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 अमित चौरसिया मय हमराह, उपनिरीक्षक दिनेश सिंह,हे0का0 महेंद्र प्रताप,हे0 का0 धनंजय राय,हे0 का, मोहित राज यादव,का0 अरविंद दुबे, का0जागीर सिंह,का0 आशुतोष पांडे,का0 श्रीराम सिंह,का0 राजेंद्र कुमार,हे0 का0 पंकज दुबे,का0 प्रवीण कुमार, का0 सनोज,का0 अनुपम,का0 संजय,चालक हे0 का0 राजेंद्र प्रसाद सिंह जनपद प्रतापगढ़।